विधान

राजस्थान ललित कला अकादमी
जे–15, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

दार्ष्टिक और शिल्पकला के क्षेत्र में की गई प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक सूत्र में बांधने व देशीय सांस्कृतिक ऐक्य को संबद्धित करने के लिए राष्ट्रीय संगठन बनाना हितकर समझकर, यह निश्चित किया गया है कि :

एक राष्ट्रीय कला विद्वत्–परिषद् राजस्थान ललित कला अकादमी के नाम से स्थापित की जावे।

2. प्रधान कार्यालय :–

अकादमी का कार्यालय जयपुर में रहेगा परन्तु यह कभी भी अकादमी के सदस्यो की संख्या के 4–5 अंश की स्वीकृति से अन्य स्थान पर भी बदला जा सकेगा।

3. संगठन और उसके कार्य :–

(अ) – अकादमी एक संश्रृष्ठ संस्था रहेगी, इसके नाम से एक मुहर रहेगी और इस संश्रृष्ठ नाम से यह अभियोग चला सकती है और इस पर भी अभियोग चलाया जा सकता है।

(ब) – इसके निम्नलिखित कार्य व अधिकार रहेंगे :–

(1) चित्र, शिल्प, वास्तु तथा सम्बन्धित कलाओं के क्षेत्र में अध्ययन और खोज को प्रोत्साहित करना;

(2) राज्य में दार्ष्टिक व शिल्पकलाओं की संस्थाओं की कार्यावलियां को एक सूत्र में लाना;

(3) कला परिषदों में ऐक्य को प्रोत्साहित करना और प्रदेश में उनके प्रसार व प्रस्थापन को बढ़ाना;

(4) कला के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण की संस्थायें स्थापित करना;

(5) जहाँ आवश्यक समझा जाये, प्रादेशिक कला केन्द्र स्थापित करना;

(6) कला के विद्वानों में विचारों के आदान–प्रदान के लिए सम्मेलन आदि आयोजित करना;

(7) कला सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन करना। इन प्रकाशनों में कला की पत्र–पत्रिकायें तथा चित्र पुस्तकें सम्मिलित होंगी;

(8) एक पुस्तकालय स्थापित करना जो विविध संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों कलाओं से सम्बन्धित सामग्री हो;

(9) कला परिषदों को सहायता देना या उनको प्रमाणित करना;

(10) प्रदर्शनियों द्वारा तथा कला सामग्री एवं कलाकारों के आदान–प्रदान द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को घोषित करना;

(11) योग्य कलाकारों को छात्रवृत्तियां देना तथा अन्य प्रकार से पुरस्कृत करना;

(12) कलाकारों की असाधारण कृतियों को मान्यता देना;

(13) ग्राम–कला का पुनरूत्थान और प्रसार करना;

(14) परम्परागत कलातत्वों के पुनर्जीवन में योगदान देना तथा जीवित एतद्देशीय शिल्पकारों, चित्रकारों एवं मूर्तिकारों के क्षेत्रिय सर्वेक्षण की व्यवस्था करना;

(15) अपने उद्देश्यों और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जमीन खरीदना, सब प्रकार की सम्पत्ति अधिकृत करना तथा उनका रक्षण करना, बेचना या गिरवी रखना; और

(16) इस प्रकार के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए काम करना, जो उपरोक्त अधिकारों के निमित्त हों या न हों;

4. **अकादमी के अधिकारी :–** अकादमी के निम्नांकित अधिकारी होंगे :–

(1) अध्यक्ष ;

(2) उपाध्यक्ष;

(3) कोषाध्यक्ष ;

(4) सचिव।

5. **अध्यक्ष** :– अध्यक्ष की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा केवल तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

6. **उपाध्यक्ष** :– उपाध्यक्ष का अकादमी की आम सभा (Genral Council) द्वारा इसके सदस्यों में से चुनाव;

7. **कोषाध्यक्ष** :–

(1) कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी द्वारा इतने ही समय के लिये नियुक्त किया जायेगा जितने के लिये यह उपयुक्त समझे;

(2) **कोषाध्यक्ष :**

(क) कार्यकारिणी के नियंत्रण में रहेगा, अकादमी की सम्पत्ति और व्यय की व्यवस्था करेगा और वार्षिक हिसाब और अनुमान बनाने के जिम्मेदारी लेगा तथा उनको कार्यकारिणी के सम्मुख पेश करेगा;

(ख) कार्यकारिणी के अधिकारों के तहत खर्च उसी हित में करने का जिम्मेदार होगा, जिसके लिये मन्जूरी होगी ;

(ग) अकादमी की ओर से हुए समविदों पर हस्ताक्षर करेगा ;

(घ) उन अधिकारों को प्रयुक्त करेगा जो कार्यकारिणी द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

(3) कोषाध्यक्ष द्वारा या अकादमी की ओर से कार्यकारिणी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी भी रकम के लिये दी हुई रसीद समुचित रूप से मान्य होगी ;

8. सचिव :–

(1) सचिव, अकादमी का मुख्य कार्याध्यक्ष रहेगा और प्रथम बार वह राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया जावेगा तदुपरान्त कार्यकारिगी द्वारा उसकी नियुक्ति इतने अर्से और ऐसी शर्तों पर होगी जो कार्यकारिणी उपयुक्त समझेगी। बशर्ते कि प्रथम सचिव की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा अपनी तय की शर्तों पर दो साल से अधिक के लिए नहीं की जावें। फिर आगे सरकार सचिव के अतिरिक्त या एवज में सहायक सचिव अपनी तय की हुई शर्तों पर दो साल से अधिक के लिये नियुक्त नहीं करे।

(2) सचिव, आम सभा का (Genral Council) का, कार्यकारिणी का, वित्त समिति का और अन्य अन्य सभाओं का, जो आम सभा द्वारा या कार्यकारिणी द्वारा बिठाई जावें, पदेन सचिव होगा परन्तु वह स्वयं इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं हो सकेगा।

(3) सचिव के निम्न कर्त्तव्य होंगे :–

(अ) वह अकादमी के पत्र आदि व सम्पत्ति का, जिनको कार्यकारिणी अपने अधिकार में ले, समारक्षक बनकर रहेगा ;

(ब) अकादमी के अधिकारियों की ओर से सरकारी पत्र व्यवहार करे ;

(स) वह अकादमी के अधिकारियों की या उनके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की सभाओं की सूचना जारी करेगा;

(द) वह कोषाध्यक्ष की निगरानी में अकादमी का हिसाब किताब रखे।

9. **अकादमी के अधिकारी** :– अकादमी निम्नलिखित अंगो द्वारा अपना काम चलायेगी :–

(1) आम सभा;

(2) कार्यकारिणी ;

(3) वित्त समिति;

(4) अन्य किसी भी प्रकार की अस्थायी सभा या सभायें, जो आम सभा कार्यकारिणी द्वारा समारोह इत्यादि करने के लिए बिठाई जायें।

10. आम सभा :–

(1) आम सभा के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(अ) आम सभा का अध्यक्ष

(ब) कोषाध्यक्ष

(स) पांच व्यक्ति सरकार द्वारा नामजद किये हुये;

(द) पन्द्रह प्रतिनिधि अध्यक्ष तथा सरकारी नामजद सदस्यों द्वारा चुने हुये;

(प) नौ विभिन्न राजस्थान के प्रदेशों से ख्याति प्राप्त कलाकार व्यक्तिगत रूप से पहले चुने गये सदस्यों द्वारा चुने हुये हों।

(2) समस्त चुने हुये सदस्य दो साल की अवधि तक कार्यभार सम्भलेंगे, उसके पश्चात् दुबारा उनका चुनाव होगा।

11. आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(1) उपाध्यक्ष को चुनना;

(2) कार्यकारिणी के सदस्यों को चुनना;

(3) कार्यकारिणी द्वारा तैयार हुआ बजट पास करना;

(4) हिसाब जांच वालों की नियुक्ति करना;

(5) (अ) उपस्थित सदस्यों और योग्य कलाकारों की संख्या के 3/4 बहुमत द्वारा अकादमी के स्नातक (Fellows) चुनना;

(ब) बशर्ते कि कार्यकारिणी ने उनके चुनाव के लिये सिफारिश की हो और स्नातक की संख्या किसी समय भी तीस से अधिक नहीं होगी;

(6) कार्यकारिणी की सिफारिश पर खास खास संस्थाओं को अकादमी की मान्यता के लिये चुनना ;

(7) कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट कार्यक्रमों और युक्तियों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना।

(8) इसके नियम, उप–नियम तैयार करना जो संगठन की व्यवस्था और अकादमी के कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक हों।

(9) ऐसे अन्य कार्य करना जो संस्था के रख–रखाव तथा उसके कार्य संपादन के लिए आवश्यक हों।

12. **आम सभा की बैठकें** :– साधारणतया आम सभा की, पिछली बैठक में निर्धारित स्थान और तिथि पर, साल में एक बार बैठक होगी। एक विशिष्ठ बैठक किसी भी समय अध्यक्ष या कार्यकारिणी द्वारा अपनी इच्छा पर या आम सभा के सदस्यों की संख्या के 2/3 भाग की प्रार्थना पर बुलाई जा सकती है।

13. **कार्यकारिणी** :– कार्यकारिणी के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) आम सभा का अध्यक्ष ;

(2) आम सभा का उपाध्यक्ष ;

(3) कोषाध्यक्ष;

(4) तीन सदस्य राजस्थान सरकार द्वारा आम सभा के सदस्यों में से चुने हुये;

(5) नौ सदस्य आम सभा द्वारा चुने हुये।

14. **कार्यकारिणी** :– कार्यकारिणी के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(1) अकादमी के कार्याधिकारों को, जो आम सभा के अधीन होंगे, काम में लाना;

(2) अकादमी के कार्य और कार्यालय के संचालन और व्यवस्था की जिम्मेदार रखना;

(3) आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अकादमी की कार्यावली तैयार करना और विशिष्ट योजनायें बनाना;

(4) अध्यक्ष की सम्पति के अकादमी का वार्षिक बजट तैयार करना;

(5) आम सभा के विचार हेतु अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना;

(6) अकादमी के विशिष्ट स्नातक या अवैतनिक विशिष्ट स्तानक के चुनाव हेतु प्रसिद्ध कलाकारों के नाम प्रस्तावित करना;

(7) अकादमी द्वारा सहायता पाने योग्य प्रसिद्ध कला संस्थानों के नाम आम सभा के समक्ष प्रस्तावित करना;

(8) राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कला सम्मेलनों या प्रतिष्ठानों में अकादमी का प्रतिनिधित्व करने हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों को नामजद करना;

(9) राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने हेतु एक व्यक्ति को सचिव के पद के लिये चुनना और उन व्यक्तियों के अतिरिक्त, जिनकी नियुक्ति के अधिकार स्वयं सचिव को है, अन्य अधिकारियों को नियुक्ति करना;

15. वित्त समिति :– वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) कोषाध्यक्ष, जो सभा का अध्यक्ष भी होगा;

(2) राजस्थान सरकार का एक नामजद अधिकारी, चाहे वह आम सभा के सदस्यों में से न हो;

(3) आम सभा के दो प्रतिनिधि;

(4) कार्यकारिणी का एक नामजद व्यक्ति, चाहे वह आम सभा का सदस्य न हो।

16. **वित्त समिति के कार्य :–** वित्त समिति अकादमी के बजट अनुमानों पर विचार करेगी, कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उन पर अपनी सिफारिश करेगी तथा एक आर्थिक वर्ष में होने वाले कुल खर्चों की अवधि निर्धारित करेगी।

17. (1) वित्त समिति अकादमी के बजट अनुमानों पर विचार करेगी, कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उन पर अपनी सिफारिश करेगी तथा एक आर्थिक वर्ष में होने वाले कुल खर्चों की अवधि निर्धारित करेगी।

(2) अकादमी द्वारा या उसके लिये किसी भी श्रोत से आई हुई रकमें इस कोष में तुरन्त जमा कराई जायेंगी;

(3) अकादमी के संचालन या इसके किसी कार्य को सम्पन्न करने हेतु रूपया इसी कोष से चैक या चैकों द्वारा निकाला जा सकेगाः जिन पर अध्यक्ष और मंत्री के सह–हस्ताक्षर होंगे।

18. **किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिये सरकार के अधिकार :–** किसी भी कार्य को सम्पन्न करने या कराने के लिये राजस्थान सरकार अकादमी को आदेश दे सकती है और अकादमी इस संदर्भ में कार्य करने के लिये बाध्य होगी।

19. **अकादमी की बर्खास्तगी :–**

(1) यदि राज्य सरकार के विचार से अकादमी कर्तव्यों को सम्पन्न करने में इस विधान के अधीनस्थ किसी प्रकार की त्रुटि करती है या अधिकारों का दुरूपयोग करती है तो राज्य सरकार राजपत्र में विज्ञप्ति देकर इसे खत्म कर सकती है और अकादमी के कार्य सम्पादन हेतु एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है;

(2) अकादमी के इस प्रकारसमाप्त हो जाने पर इसकी समितियां या इसके उप–विभाग भी समाप्त कर दिये जायेंगे,

(3) प्रशासक राज्य सरकार की सहमति व कुशल व्यक्तियों की सहायता से उन समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा जो समाप्त की गई अकादमी के अधिकार में दिये गये थे :

20. साधारण :–

(1) कोई भी नियम या निश्चय जो कि आम सभा द्वारा बनाया गया होगा या लिया गया होगा, उस दशा में ही आम सभा द्वारा संशोधित या रद्द किया जा सकेगा जब कि विधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं कर्तव्यों के पालन में अधिकारी चुक जायेगा :

(2) आम सभा के उपस्थित अथवा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के तीन–चौथाई की राय के आधार पर राजस्थान सरकारसे विधान में संशोधन उस प्रकार से करा सकती है जैसा कि आम सभा का निर्णय हो।